अपील सूचना अधिकार संख्या 63/2018 रामेश्वर लाल पुत्र श्री दुला राम जाति कुम्हार निवासी सप्पांवाली तहसील अबोहर जिला फाजिल्का पंजाब बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादूलशहर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

26—09—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामेश्वर लाल उपस्थित नही है। विभागीय प्रतिनिधि उपस्थित नही है।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत एक आवेदन पत्र दिनांक 26.07. 2018 लोक सूचना अधिकारी एवंम तहसीलदार, सादूलशहर को प्रस्तुत कर सूचनाए चाही थी जो उसे लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित अवधि मे उपलब्ध नही करवाई गई है इसलिए उसके द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रार्थना की गई है कि लोक सूचना अधिकारी को सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों तहत दण्डित किया जावे और वांछित सूचनाए उपलब्ध करवाई जावे।

अपीलार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2018 से निम्न सूचनाए चाही थीः—

> **चक 10 टी के डबल्यु तह0 सादूलशहर के खाता स0 49/49 प.न. 32/2015 मु0न0 8 कि.न. 1 व 2 में दिनांक 19.07.2018 को प्रार्थी व प्रार्थी के भाई मोहनलाल के इस रकबा में जिस आदेश से रास्ता मौका पर जाकर खुलवाया है कि प्रमाणित प्रतिलिपी उपलब्ध करवाई जावे।**

उक्त अपील पत्र के संदर्भ में लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही कोई सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई गई है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7(1) अन्तर्गत 30 दिवस के भीतर सूचना उपलब्ध करवाने अथवा न करवाने के सम्बन्ध में निम्न प्रकार से प्रावधान दिये गये है :

> **<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> :**
>
> **(1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप—धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी**

सा/-
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र दिनांक 26.07.2018 पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है, जबकि धारा 7 (1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं और लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादूलशहर को आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाएं अगर देय है तो आदेश प्राप्ति के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार उपलब्ध करवाई जावे अन्यथा न दिये जाने पर प्रार्थी को कारण सहित सूचित किया जावे। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार, सादूलशहर को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 26.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर